

COVID-19 एजेंसी तथ्य शीट

The Department of Children, Youth, and Families (DCYF) ने 27 मई, 2020 को इस तथ्य शीट को अपडेट किया था। DCYF ज़रूरत के मुताबिक इस दस्तावेज़ को अपडेट करना जारी रखेगा। अधिक जानकारी के लिए dcyf.wa.gov पर जाएं।

COVID-19 वायरस को फैलने रोकने के लिए, DCYF ने हमारी सभी बिल्डिंग्स में सार्वजनिक लॉबीज़ को बंद कर दिया है और व्यक्तिगत रूप से कारोबार का संचालन नहीं कर रहा है।

व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (PPE)

- इसमें दस्ताने, मास्क, गाउन, जूते और फेस मास्क शामिल हैं।
- DCYF को PPE प्राप्त हुए हैं तथा वह इसे 24/7 सुविधा परिसरों में और उन कर्मचारियों को वे प्रदान कर रहा है जो संभावित रूप से COVID-19 वायरस के संपर्क में हैं। हम जानते हैं कि ज्यादा PPE की ज़रूरत है, और हम अधिक मात्रा में उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

परिवार सहायता कार्यक्रम

घर पर विज़िट करना

- मार्च में, DCYF ने घर पर विज़िट करने वाले प्रदाताओं को व्यक्तिगत विज़िट्स बंद करने और उसके बजाय वीडियो या टेलीफ़ोन विज़िट्स पेश करने के लिए कहा था। वर्चुअल विज़िट्स 30 जून तक जारी रह सकती हैं। कुछ घर पर विज़िट करने वाले प्रदाता वीडियो या वेब-आधारित विज़िट्स और टेलीफ़ोन, ईमेल या टेक्स्ट का उपयोग कर रहे हैं। कुछ प्रदाता परिवारों के लिए, सुरक्षित दूरी से, उपकरण पहुँचा रहे हैं।
- DCYF ने Home Visiting Service Account (HVSA) द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों से 30 जून तक व्यक्तिगत विज़िट्स बंद करने के लिए कहा।
 - इस समय के दौरान, DCYF सभी अकाउंट्स को वैध लागत का भुगतान करेगा, यहाँ तक कि तब भी अगर सभी शर्तें पूरी नहीं की जातीं।

Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)

- प्रारंभिक सहायता प्रदाता 30 जून तक फ़ोन और वीडियो कॉल्स का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए बच्चों और प्रदाताओं के बीच विज़िट्स सुरक्षित ढंग से जारी रह सकती हैं।

बाल कल्याण

इनटेक लाइन

- DCYF द्वारा अपनी मुफ्त 24/7 दुर्घटवहार और उपेक्षा हॉटलाइन 1-866-363-4276 का उपयोग जारी है।

मुलाकात

- DCYF व्यक्तिगत विज़िट्स बहाल कर रहा है लेकिन COVID-19 महामारी के दौरान, वर्चुअल और व्यक्तिगत विज़िट्स के संयोजन के माध्यम से ये विज़िट्स प्रदान की जा सकती हैं।



- बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, DCYF द्वारा व्यक्तिगत रूप से, बाल शोषण या उपेक्षा की रिपोर्ट्स की जाँच जारी है।
- सभी प्रतिभागियों के लिए विज़िट्स को जितना संभव हो उतना सुरक्षित बनाने के लिए DCYF ने प्रदाताओं से DOH स्वास्थ्य मार्गदर्शन और प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए कहा है।

पालक देखभाल के लिए लाइसेंस

- DCYF ने कार्यक्रमों और परिवारों की मदद करने के लिए एक आपातकालीन पालक देखभाल छूट और अपवाद प्रक्रिया बनाई है।
 - यदि वे COVID-19 के दौरान वॉशिंगटन प्रशासनिक संहिता की शर्तों का पालन नहीं कर सकते, तो उपलब्ध विकल्पों के बारे में चर्चा करने के लिए पालक देखभाल प्रदाताओं को अपने क्षेत्रीय लाइसेंसदाता से संपर्क करने की आवश्यकता है।
 - पालक माता-पिता बनने के बारे में जानने के लिए 1-888-543-7414 पर कॉल करें।
- DCYF ने सभी प्रदाताओं से सामाजिक दूरी बनाकर रखने के लिए कहा है, जैसे DOH और गवर्नर के आदेश में बताया गया है।

पृष्ठभूमि की जाँच

प्रतिवर्तन समय को कम करने, सुरक्षित ढंग से रुकावटों को दूर करने और संभवतः बच्चों को देखभाल प्रदान करने वाले लोगों का मूल्यांकन करने के लिए, DCYF ने बाल कल्याण और प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पृष्ठभूमि की जाँच में परिवर्तन किए हैं।

बाल देखभाल

- बाल देखभाल केंद्रों और परिवारिक घर प्रदाताओं के पास हर कमरे में कुल 10 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए, जिनमें बच्चे और वयस्क शामिल हैं। यदि केंद्र में एक से ज्यादा समूहों को अलग करने की जगह है, तो वे ऐसा कर सकते हैं।
- प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं और आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को बाल देखभाल की ज़रूरत है (नर्सें, डॉक्टर्स, कानून प्रवर्तन कर्मचारी, दमकलकर्मी, चिकित्सा-सहायक और सामाजिक कार्यकर्ता)। DCYF यह सिफारिश करता है कि सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर प्रदाता आवश्यक सूची में मौजूद परिवारों और सबसे संवेदनशील बच्चों को सेवा प्रदान करें।
- CARES Act के अधीन DCYF बाल देखभाल प्रदाताओं को सहायता प्रस्तुत कर रहा है। 30 जून या या वित्तीय सहायता समाप्त होने तक प्रदाता wacompass.force.com/PP_LoginPage पर अनुदान वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बाल देखभाल आर्थिक सहायता

- DCYF गतिविधियों के लिए नियमों में बदलाव कर रहा है ताकि इस समय के दौरान परिवार बाल देखभाल तक पहुँच प्राप्त कर सकें।



- हर 12 महीने बाद परिवारों को देखभाल के लिए पुनः अधिकृत होना होगा और योग्यता के लिए शर्तें मौजूद हैं। DCYF नियमों को लचीला बना रहा है ताकि परिवार योग्य रह सकें।
- जब आवश्यक हो तब परिवारों को पुनः आवेदन करना होगा और अपनी परिस्थितियों और गतिविधियों की जानकारी देनी होगी।
- हम परिवारों को योग्यता को कायम रखने हेतु पुनः आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि जब आवश्यक हो तब वे बाल देखभाल तक पहुँच प्राप्त कर सकें।
- DCYF Working Connections Child Care प्राप्त करने वाले परिवारों के लिए अप्रैल, मई और जून के लिए सहभुगतानों को माफ़ कर रहा है। DCYF प्रदाताओं को पूरी रकम का भुगतान करेगा, जिसमें मूल दर और किसी परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली सहभुगतान रकम शामिल हैं।

Early Achievers (अर्ली अचीवर्स) प्रतिभागी

- Early Achievers (अर्ली अचीवर्स) में भाग लेने वाले प्रदाता गुणवत्ता सुधार पुरस्कार और अपने नामांकन-आधारित भुगतान से जुड़ी श्रेणीबद्ध प्रतिपूर्ति दरें प्राप्त करते रहेंगे। गवर्नर Inslee ने Early Achievers (अर्ली अचीवर्स) की समयसीमाओं और शर्तों से संबंधित उन कानूनों में छूट दी ही है जो इनके भुगतान को प्रभावित नहीं करेंगे।

Juvenile Rehabilitation (JR)

- DCYF ने व्यक्तिगत विज़िट्स को वीडियो-आधारित विज़िट्स से बदल दिया।
- 24/7 सुविधा परिसरों में प्रवेश करने वाले सभी कर्मचारियों और विक्रेताओं की COVID-19 के लक्षणों के लिए पूर्व-जाँच की जानी चाहिए।
- JR बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले, कर्मचारियों, विक्रेताओं और ठेकेदारों से यह पूछा जाएगा कि वे लक्षण प्रदर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या नहीं है।
- सुविधा परिसरों में प्रवेश करने पर सभी कर्मचारियों, निवासियों और ठेकेदारों को अपने हाथ धोने होंगे।
- हम नियमित रूप से सुविधा परिसरों, विशेष रूप से अत्यधिक संपर्क क्षेत्रों, को कीटाणुमुक्त करते हैं।
- ठीक महसूस न होने पर सभी निवासियों को तुरंत कर्मचारियों को सूचित करना होगा।
- यदि कोई बीमार महसूस करता है, तो कर्मचारी तुरंत एक चिकित्सा प्रदाता से संपर्क करेंगे और परिवार को सूचित करेंगे।

संपर्क

कृपया DCYF की वेबसाइट पर हमारी संपर्क जानकारी पर जाएं या किसी भी सवाल के साथ dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov पर लिखें।

यदि आप किसी वैकल्पिक प्रारूप या भाषा में इस दस्तावेज़ की प्रतिलिपियाँ चाहते हैं, तो कृपया DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov) से संपर्क करें।

DCYF PUBLICATION COMM_0078 (05-29-2020) HINDI (हिन्दी) – HI



Washington State Department of
CHILDREN, YOUTH & FAMILIES

HINDI (हिन्दी) – HI